

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक— 2549 / मी0क्ष0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 29, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में। (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/MIN/29061/2017)

संदर्भ:— 1-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ०प्र० लखनऊ पत्र संख्या— पी०112/८1-2-2019-79/91 लखनऊ दिनांक— 26 दिसम्बर 2019
का 2-आपका पत्र संख्या— 1274/11-सी— FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक— 26.12.2019
3-आपका पत्र संख्या— 1289/11-सी—FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक— 30.12.2019

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक— 26.12.2019 से प्रयोक्ता एजेसी द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। अतएव निम्न बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक—2579/रेनुकूट /15-38 दिनांक 25.01.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आख्या निम्न प्रकार प्रेषित किया है:—

| क्र०सं० | विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या— पी०112/८1-2-2019-79/91 लखनऊ दिनांक— 26 दिसम्बर 2019 में अंकित आपत्तियों का विवरण | प्रभाग की अनुपालन आख्या |
|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किया जायेगा। यदि प्रयोक्ता द्वारा शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाय। | <p>(1) इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए ग्राम-ककरी की 185.84 हे० वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या— 8-350/87-एफ०सी० दिनांक— 30.05.1989 द्वारा 6(छः) शर्तों के अधीन एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या— एल० 598/14-3-1989 दिनांक— 22.12.1989 व संशोधित आदेश संख्या—5343/14-2-93-944 /1987 वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक— 01.11.1993 द्वारा 11(गयारह) शर्तों के अधीन 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी।</p> <p>(2) उ०प्र० सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक— 22.12.1989 में अधिरोपित समस्त शर्तों में से शर्त संख्या—6 का उल्लंघन किया गया है और शर्त संख्या— 9(ब) का अनुपालन वर्ष 2011-12 तक किया गया तथा वर्ष 2011-12 के उपरान्त अनुपालन नहीं किया गया जिसका कारण/विवरण निम्नानुसार है :-</p> <p>शर्त संख्या— 6 - इस शर्त के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि 185.84 हे० पर नार्दन कोल फील्ड्स लि० द्वारा किए गए निर्माण के बाद भी आरक्षित/रक्षित वन भूमि बने रहेंगे किन्तु प्रस्तावक नार्दन कोल फील्ड्स लि० द्वारा न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी पिपरी सोनभद्र व न्यायालय अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश पिपरी-सोनभद्र के</p> |

समक्ष वाद/अपील योजित करते हुए वर्ष 1994 के पूर्व निर्णय प्राप्त किया गया और प्राप्त निर्णय के आधार पर प्रश्नगत वन भूमि को राजस्व अभिलेखों में एन0सी0एल0 के नाम दर्ज कराया जा चुका है एन0सी0एल0 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रश्नगत वन भूमि एवं एन0सी0एल0 की अन्य परियोजनाओं एवं अन्य संस्थानों आदि के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त भूमि को पुनः वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने एवं अन्य तथ्यों को वन विभाग की ओर से एक एम0ए0 संख्या- 1747/2018 बनवासी सेवा आश्रम से संबंधित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल किया गया है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

शर्त संख्या- 8(ब) - इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा प्रीमियम की निर्धारित धनराशि रू0 2,32,300/- (एक मुश्त) तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट की निर्धारित धनराशि , 23,230/- प्रति वर्ष की दर से वर्ष 2011-12 तक जमा करते हुए आगे की अवधि में जमा करने से छूट प्रदान करने हेतु सी0एम0डी0, नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौती, मध्य प्रदेश द्वारा (समस्त परियोजना यथा एन0सी0एल0 ककरी, बीना, खड़िया, एवं बुद्धीचुओं की ओर से) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या-50320/2010 नार्दन कोल फील्डस लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी । उक्त रिट याचिका में विभाग की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक- 11.10.2012 **Delivered ON 16.01.2013** वन विभाग के विरुद्ध जारी किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 11.10.2012/ 16.01.2013 के विरुद्ध प्रभाग द्वारा उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका जायरी संख्या- 13458/2013, व एस0एल0 पी0संख्या- सिविल (सी) 22793/2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर 7614/2014 दाखिल किया गया है जिसमें अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक-15.07.2013 व 08.08. 2014 को निम्न आदेश पारित किया गया :-

दिनांक-15.07.2013- **Delay condoned, Issue notice**

दिनांक-08.08.2014- **Leave granted. Hearing of appeal be expedited. In the meantime, counsel for the appellants is permitted to file rejoinder affidavit, if any .**

उक्त आदेश दिनांक- 08.08.2014 के अनुपालन में प्रभाग द्वारा एडवोकेट ऑन रिकार्ड के माध्यम से दिनांक- 17.08.2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिज्वाइन्डर शपथ पत्र दाखिल किया तथा सिविल अपील माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । प्रीमियम एवं लीज रेंट भुगतान के संबंध में प्रस्ताव द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादों के अन्तिम निर्णय के अनुसार अनुपालन किया जायेगा । वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की प्रति नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-50 पर संलग्नक-13 के रूप में संलग्न किया गया है ।

| | | |
|---|--|---|
| 2 | विषयगत प्रस्ताव में प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित भूमि हस्तान्तरण की शर्तों के अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों में से उ०प्र० सरकार के उक्त शर्त संख्या-6 व 8(ब) का अनुपालन उपरोक्त कारणों से नहीं किया गया है। दोनों प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन होने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित नहीं किया गया है। |
|---|--|---|

अतिरिक्त कथन

उक्त के अतिरिक्त नार्दन कोल फील्डस लि० के विभिन्न परियोजनाओं के प्रकरणों में उल्लंघन एवं अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

1- नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना को उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लीज पर हस्तान्तरित ग्राम-ककरी की 185.84 हे क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्षेत्रफल 18.2608 एकड़ जिसका ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है, को नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये सी०बी०ए० एक्ट के अधीन उर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर प्राप्त भूमि में से 18.2608 एकड़ भूमि में रेनुसागर पावर डिवीजन, रेनुसागर-सोनभद्र व में० लैन्को अनपरा पावर लि० अनपरा-सोनभद्र को लीज पर हस्तान्तरित कर दी गयी जिसके संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है। :-

| क्र० सं० | एन०सी०एल०द्वारा सी०बी०ए० एक्ट के अधीन प्राप्त भूमि में से जिसको लीज दी गयी उसका नाम | लीज का दिनांक | लीज का प्रयोजन | लीज का क्षेत्रफल | लीज क्षेत्रफल में निहित वन भूमि का क्षेत्रफल/ग्राम का नाम | वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रभाग स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण |
|----------|---|---------------|--|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | में० रेनुसागर पावर डिवीजन(में० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०) | 21.02.2009 | ऐश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यों के लिए रास्ते का निर्माण | 7.43 एकड़ | 5.5203 एकड़ /ग्राम-परासी व औड़ी | प्रश्नगत प्रकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या-4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक-10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6473/मीरजापुर/33 दिनांक-29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1571/11-सी-उल्लंघन दिनांक-30.01.2014 व पत्र संख्या-419/11-सी दिनांक-20.08.2015 द्वारा |
| 2 | — | 10.06.2011 | कोयला ट्रान्सपोर्ट सिस्टम की स्थापना | 30.86 एकड़ | 6.1405 एकड़ /ग्राम-ककरी, जगपिला व बांसी | मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6473/मीरजापुर/33 दिनांक-29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1571/11-सी-उल्लंघन दिनांक-30.01.2014 व पत्र संख्या-419/11-सी दिनांक-20.08.2015 द्वारा |
| 2 | में० लैन्को अनपरा पावर लि० अनपरा-सोनभद्र | 30.11.2010 | वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना | 8.8 एकड़ | 6.6 एकड़ /ग्राम-ककरी | मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6473/मीरजापुर/33 दिनांक-29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1571/11-सी-उल्लंघन दिनांक-30.01.2014 व पत्र संख्या-419/11-सी दिनांक-20.08.2015 द्वारा |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | प्रमुख सचिव(वन) उ०प्र० शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण उ०प्र० शासन स्तर पर विचाराधीन है । |
|--|--|--|--|--|--|--|

2- (क) नार्दन कोल फील्डस लि० की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा रेलवे रैक के माध्यम से विभिन्न सरकारी उपक्रमों/संस्थानों/प्राईवेट फर्मों आदि को अभिवहित कोयले पर अभिवहन शुल्क की कुल बकाया धनराशि रू० 3,71,69,21,066/- वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाना था । उक्त बकाया धनराशि में से अब तक रू० 3,69,62,19,745/- की धनराशि विभिन्न परियोजनाओं द्वारा विभिन्न तिथियों में बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रभाग में उपलब्ध कराया जा चुकी है । इस प्रकार अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि उपरोक्तानुसार जमा होने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू० 3,07,01,321/- एन०सी०एल० की बीना परियोजना द्वारा Delhi Vidyut Board(DVB), Himadri, Rajghat Officer Complex, New Delhi- 110001 से प्राप्त करते हुए वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाना है । उपरोक्त अवशेष धनराशि जमा करने हेतु प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से सी०एम०डी० नार्दन कोल फील्डस लि० सिंगरौली को पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उनके द्वारा जमा न कराये जाने पर प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी सिंगरौली मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित करते हुए बकाया अभिलेख शुल्क की धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया ।

(ख) उक्त अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि रू० 3,71,69,21,066/- में से नार्दन कोल फील्डस लि० की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा विभिन्न तिथियों में जमा की गयी धनराशि में हुए विलम्ब के कारण कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ०प्र० आडिट भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा रू० 121.48 करोड़ की धनराशि निर्धारित करते हुए जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्धारित धनराशि को जमा करने हेतु प्रभाग द्वारा सी०एम०डी० नार्दन कोल फील्डस लि० सिंगरौली, मध्य प्रदेश से अनुरोध किया गया किन्तु जमा न किये जाने पर प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी सिंगरौली मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित करते हुए ब्याज की धनराशि जमा भू-राजस्व की भाँति वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया ।

(ग) प्रभाग स्तर से जिलाधिकारी सिंगरौली, मध्य प्रदेश को प्रेषित पत्रों के क्रम में जिलाधिकारी सिंगरौली द्वारा सी०एम०डी० नार्दन कोल फील्डस लि० सिंगरौली के विरुद्ध किये गये कार्यवाही से क्षुब्ध होकर नार्दन कोल फील्डस लि० द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दो रिट याचिका दाखिल करते हुए आदेश प्राप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र० सं० | रिट याचिका संख्या/वर्ष | याची/विपक्षीगणों का विवरण | माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित मुख्य अन्तरिम आदेश की तिथि व प्रभावी अंश | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | टैक्स 224/2018 | नार्दन कोल फील्डस लि० द्वारा सी०एम०डी० एन०सी०एल० मुख्यालय सिंगरौली बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य | 08.03.2018- Till 14 Marh 2018 no coercive measures may be taken against the petitioner for realization of interest on account of delay in deposit of Transit Fee. 15.10.2019- List in the next cause list so as to enable the learned counsel for the petitioner to provide correct address of respondent n0. 6 Interim order , if any, to continue till then . | इस रिट याचिका में विभाग की ओर से दिनांक-05.04.2018 को शपथ पत्र एवं स्टे वैकेशन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---|
| 2 | सी 15241/2018 | नार्दन कोल फील्डस लि० द्वारा सी०एम०डी० एन०सी०एल० मुख्यालय सिंगरौली बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य | 07.05.2018 On the request of learned counsel for the petitioner, put up on 14- 05-2018 | इस रिट याचिका में विभाग की ओर से दिनांक-16.11.2019 को शपथ पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। |
|---|---------------|---|---|---|

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा नार्दन कोल्ड फील्डस लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव सं०-**FP/UP/MIN/29061/2017** को आगामी 20 वर्षों हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दु की आख्या पर सहमत व्यक्त करते हुए प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 3549 अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके संबंधित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(रमेश चन्द्र झा) 29-01-2020
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर